कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकःएफ 21 (22) 2000/ जेएफएम/विकास/प्रमुवसं / 676 दिनांकः 15.10.2002

परिपत्र

राज्य के विभिन्न स्थानों में वन क्षेत्र वन भूमि/ राजकीय पड़त भूमि तथा सामुदायिक भूमि पर किये गये वृक्षारोपण की अब तक प्रबन्ध योजना नहीं बनाई गई है, इसके फलस्वरूप भारी तादाद में किये गये वृक्षारोपण क्षेत्र में वैज्ञानिक तरीके से प्रबन्धन नहीं हो पा रहा है। साझा वन प्रबन्ध हेतु प्रसारित राज्यादेश क्रमांक एफ 7(39) वन/90 दिनांक 17.10.2000 के अनुच्छेद 10 में उल्लेखित प्रावधानों की ओर आप सभी का ध्यान आकर्षित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि जिन वन क्षेत्रों के लिए कार्य आयोजना इस समय तैयार नहीं है अथवा वर्तमान में साझा वन प्रबन्ध अतिच्छादी वृत का प्रावधान नहीं रखा गया है वहां पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान द्वारा प्रसारित दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्य कराया जावेगा। अतः उपरोक्त बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए समस्त उप वन संरक्षकों / मण्डल वन अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि अब तक उनके वन मण्डल में किये गये समस्त वृक्षारोपण क्षेत्रों की यह समयबद्ध ''प्रबन्ध योजना'' प्राथमिकता के आधार पर तत्काल तैयार कर ली जावे। प्रबन्ध योजना की एक रूपरेखा संलग्न की जा रही है, इसी रूपरेखा के अनुसार प्रबन्ध योजना तैयार करने के पश्चात इस प्रबन्ध योजना की तकनीकी स्वीकृति निम्नानुसार गठित समिति के द्वारा की जावेगी।

1. सम्बन्धित वन संरक्षक	अध्यक्ष
2. वृत्त के वरिष्ठतम उप वन संरक्षक एवं मण्डल वन अधिकारी	सदस्य
3. सम्बन्धित वन मण्डल के उप वन संरक्षक एवं मण्डल वन अधिकारी	सदस्य सचिव

यह समिति प्रबन्ध योजना में दी गई रूपरेखा के मुताबिक तकनीकी दृष्टि से परीक्षण कर समुचित तकनीकी स्वीकृति प्रसारित करेगी एवं स्वीकृति की प्रति आवश्यक रूप से सम्बन्धित मुख्य वन संरक्षक तथा मुख्यालय पर अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रेषित करेगी। चूंकि राज्यादेश में यह भी अपेक्षा की गई है कि इस योजना की तैयारी के समय सम्बन्धित ग्रामीण समाज के सभी वर्गों, विशेषकर महिलाओं तथा कमजोर वर्गों से विचार–विमर्श करना अनिवार्य होगा। अतः यह सर्वथा उचित रहेगा कि स्वीकृति हेतु प्राधिकृत उक्त समिति को यह योजना प्रस्तुत करने से पूर्व ग्राम सभा में इस योजना के अनुमोदन का प्रस्ताव रखा जाकर उसका अनुमोदन प्राप्त कर लिया जावे। अन्त में सम्बन्धित उप वन संरक्षक / मण्डल वन अधिकारी इस कार्य प्रबन्ध योजना की प्रशासनिक स्वीकृति जारी करेंगे तथा समस्त वृक्षारोपण क्षेत्रों में भावी प्रबन्ध योजना में उल्लेखित सभी विकास काय्र अनिवार्य रूप से किये जावेंगे।

संलग्न : उक्तानुसार

ह0
(अभिजीत घोष)
मुख्य वन संरक्षक,
विकास एवं साझा वन प्रबन्ध,
राजस्थान,जयपुर

प्रबन्ध योजना की रूपरेखा

गत दो दशकों से वन क्षेत्र, सामुदायिक भूमि एवं राजकीय पड़त भूमि पर भारी तादाद में वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है। पिछले दशक में विभिन्न स्थानों पर वृक्षारोपण कार्य प्रारम्भ करने के साथ–साथ साझा वन प्रबन्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत वन सुरक्षा एवं प्रबन्धन समितियां भी गठित की गई हैं। अधिकांश स्थानों पर इन वृक्षारोपण क्षेत्रों की ''प्रबन्ध योजना'' तैयार किया जाना अभी तक अपेक्षित है।

प्रबन्ध योजना तैयार करते समय वन क्षेत्रों को एक श्रेणी में, राजकीय पड़त भूमि पर किये गये वृक्षारोपण को एक श्रेणी में तथा पंचायत/ सामुदायिक भूमि पर किये गये वृक्षारोपणों को पृथक श्रेणी में विभक्त किया जाना चाहिए। प्रत्येक श्रेणी के ''प्रबन्ध योजना'' के लिये पृथक रणनीति रहेगी।

पंचायत एवं सामुदायिक भूमि :

पंचायत के अधिकार में सामुदायिक बंजर भूमि पर सामाजिक वानिकी योजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण का कार्य अब तक लगभग 1,20,000 हैक्टर क्षेत्र में कराया गया है। साधारणतया यह कार्य 10–15 हैक्टर की ईकाई में कराये गये हैं। कुछ स्थानों पर जहां अधिक भूमि पंचायत के पास उपलब्ध थी वहां 200–250 हैक्टर के कलस्टर में भी कार्य हुआ है। अब इन वृक्षारोपणों की ''प्रबन्ध योजना'' तैयार की जानी है, जिससे कि परियोजना अवधि के पश्चात इनका रख–रखाव सुचारू रूप से किया जा सके और विदोहन से पंचायत को लाभ अर्जित हो सके। साधारणतया दक्षिण पूर्वी राज्य में पंचायत भूमि पर सफेदा, देशी बबूल, इजरायली बबूल, विलायती बबूल, अरडू, बेर एवं अन्य फलदार पौधों के रोपण के अतिरिक्त कहीं कहीं बांस भी लगाया गया है। पश्चिम राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में इजरायली बबूल, विलायती बबूल, खेजडी, बेर एवं रोहिड़ा आदि लगाया जाता है। वृक्षारोपण के प्रारम्भिक वर्ष से ही इन सभी क्षेत्रों से स्थानीय जनता को प्राप्त होती रही है एवं पौधों की बढ़ोतरी के साथ–साथ घास की पैदावार में कमी आती है, अतः ऐसे क्षेत्रों में ''प्रबन्ध योजना'' बनाते समय निम्न प्रकार प्रावधान रखा जाना उचित होगा :

(1) प्रथम वर्ष से जब तक पर्याप्त मात्रा में घास वृक्षरोपण क्षेत्र से प्राप्त होगा तब तक घास के बीज परक कर गिरने के प्श्चात जनता घास दरांती से काटकर निकास कर सकती है, परन्तु घास के वितरण की क्या प्रक्रिया अपनाी ई जानी है, यह स्थानीय पंचायत तथा ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति द्वारा ही तय किया जावेगा।

(2) जहां मूंजा लगाया गया है वहां तृतीय वर्ष के पश्चात माह दिसम्बर में मूंजा काटने की अनुमति ग्रामीण जनता को दी जा सकती है परन्तु इसके वितरण क्या प्रक्रिया होगी, यह पंचायत एवं ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति द्वारा ही तय किया जावेगा। मूंजा के झुण्ड यदि तृतीय वर्ष के पश्चात भी किन्हीं स्थानों पर आशानुरूप बढ़त नहीं ले पाते हैं तो इनको काटने की अनुमति देने में और भी विलम्ब किया जा सकता है।

(3) पुर्निंग (शाख–तराशी) पौधारोपण के पश्चात अंगूठे जितना मोटा तना होने के एक वर्ष बाद से ही वैज्ञानिक तरीके से पुर्निंग करने पर पौधाों की बढ़ोतरी में सुधार होता है, जहां पर अब तक पुर्निंग नहीं हुई है वहां पर कम से कम तीसरी साल के बाद पुर्निंग किया जाना आवश्यक है। पुर्निंग करते समय तेज धार वाले औजार (सैकेटियर, गंडासा एवं छोटी आरी) आदि का प्रयोग किया जावे। जहां तक सम्भव हो कुल्हाड़ी का प्रयोग नहीं करें। जहां कुल्हाड़ी का प्रयोग करें वहां विशेष रूप से ध्यान रखा जावे कि कुल्हाड़ी से पेड़ों की छाल को नुकसान नहीं पहुंचे।

प्राकृतिक रूप से सामुदायिक भूमि पर खेजड़ी, बेर, कुमठा, रोंझ, देशी बबूल आदि भी काफी तादाद में पाई जाती है इसलिये क्षेत्र में जैविक दबाव बन्द होने के पश्चात इन प्राकृतिक झाड़ीनुमा अवस्था में पाई जाने वाली वनस्पतियों को पेड़ की शक्ल लेने को प्रारम्भ करता है, अतः यह आवश्यक है कि जैविक दबाव बन्द होने के एक वर्ष पश्चात इन झाड़ीनुमा प्रजातियों को आवश्यकतानुसार पुर्निंग किया जाकर पेड़ की शक्ल दी जावे। इसके लिये आवश्यक तेज धार वाले औजार काम में लिये जावें। पुर्निंग से प्राप्त मैटेरियल को पंचायत अपने स्तर से स्थानीय जनता को वितरित करेगी तथा पुर्निंग कार्य लगातार प्रतिवर्ष होना चाहिये, इसके लिए उपयुक्त समय वही होता है जब सबसे ज्यादा सर्दी (जनवरी के अंतिम सप्ताह से 15 फरवरी तक) और सबसे ज्यादा गर्मी हो (10 मई से 30 मई तक) ''ग्रोथ'' समय में पुर्निंग का कार्य नहीं किया जावे।

(4) थिनिंग (बिरलन) : साधारणतया ''बायोमास प्रोडक्शन'' के उद्देश्य से किये गये वृक्षारोपण पर थिनिंग की आवश्यकता नहीं रहती है, परन्तु जहां प्लान्टेशन क्षेत्र में शीशम, सफेदा, रोहिड़ा, देशी बबूल आदि प्रजातियों से इमारती लकड़ी प्राप्त करनी हो, तो थिनिंग की आवश्यकता पड़ती है। परन्तु सफेदा के क्षेत्र में अनुसंधानों द्वारा प्रतिपादित हो चुका है कि थिनिंग के पश्चात पौधों की बढ़ोतरी में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है, अतः सफेदा में थिनिंग कार्य नहीं किया जावे। अन्य वृक्षारोपणों में 6 साल एवं 11 साल बाद थिनिंग करने पर पौधों की ऊंचाई एवं गोलाई में बढ़ोतरी हो सकेगी, जिससे कि इमारती अधिक प्राप्त हो सकती है। देशी बबूल एवं अरडू के अतिरिक्त रोहिड़ा एवं शीशम प्रजातियों के लिये क्षेत्र की आवश्यकतानुसार 18 साल बाद भी एक बार और थिनिंग की जा सकती है।

(5) अंतिम विदोहन साधाणतया इन प्रजातियों का विदोहन निमन प्रकार किया जाना चाहिए :

प्रजाति का नाम	विदोहन अवधि
1. सफेदा	8 से 10 साल
2. देशी बबूल, इजरायली बबूल, बैर, अरडू	15 से 17 साल
3. रोहिड़ा, शीशम, खेजड़ी आदि	25 से 27 साल

सफेदा को 10 वर्ष पश्चात काटने पर कोपिस पद्धति से इस प्रजाति का पुनरुत्पादन सम्भव है। सफेदा की फसल से अधिकतम तीन बार कोपिस किया जाना लाभदायक रहता है। अतः कुछ एक चुने हुए पेड़ों को बीजोत्पादन के लिए ''स्टैण्डर्ड'' के रूप में छोड़ा जाना वांछनीय होगा। प्रति हैक्टर 40 से 50 पेड़ बीज उत्पादन हेतु छोड़ै जाने चाहिए। सफेदा के वृक्षारोपण प्रदेश में कहीं–कहीं 2 x 2 मीटर, 2 x 3 मीटर, 3 x 3 मीटर एवं 3 x 4 मीटर की दूरी पर किये गये हैं, परन्तु पुनर्उत्पादन क्षेत्र में सभी स्थानों पर 3 x 4 मीटर की दूरी पर सफेदा को रखा जाना उचित होगा। इसके विदोहन के लिए ''कोपिस विद स्टैण्डर्ड'' पद्धति सबसे उपयुक्त है।

देशी बबूल, इजरायली बबूल, बैर, अरडू, रोहिड़ा, खेजड़ी एवं शीशम जैसी प्रजातियों के लिये निर्धारित समय में ही विदोहन कार्य किया जायेगा। जहां पर इन प्रजातियों का विदोहन किया जायेगा वहां, ''कोपिस'' पद्धति से पौधों का पुनरुत्पादन सम्भव नहीं होगा, इसलिये इन प्रजातियों के विदोहन के समय सम्पूर्ण क्षेत्र में ''क्लीयर फैलिंग'' के बजाय नालों के पास एवं अन्य भू–क्षरण सम्भावित क्षेत्रों तथा वृक्षारोपण क्षेत्र की परिसीमा में कम से कम 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत अच्छे एवं सबल पेड़ों को छोड़कर विदोहन का कार्य किया जाना चाहिए।

किसी भी क्षेत्र में फलदार एवं संरक्षित पौधों का पातन नहीं किया जावे और क्षेत्र में उपलब्ध बहुवर्षीय वृक्ष जैसे–बड़, पीपल, महुआ, नीम, बहेड़ा, बेल एवं गूलर आदि को विदोहन से मुक्त रखा जावे। विदोहन करने से पूर्व जिन पेड़ों को छोडा जाना है उनकी ''ब्रेस्ट हाईट'' पर रंग से गोलाई (एक रिंग) लगाकर मार्क किया जाना चाहिये तथा वृक्षारोपण की सीमा पर पातन से मुक्त रखे जाने वाले पेड़ों पर रंग की दो गोलाई (दो रिंग) से चिन्हित किया जावे।

चूंकि विलायती बबूल प्रजाति को केवल जलाऊ लकड़ी के प्रयोग में लिया जाता है एवं काटने के पश्चात अत्यधिक मात्रा में फुटान हो जाता है, इसलिये जहां पर भी विलायती बबूल का वृक्षारोपण किया गया है वहां 8 से 10 साल के अन्तराल पर साधारण ''कोपिस पद्धति'' अपनाते हुए विदोहन किया जाये और जहां आवश्यकता हो वहां पर इसका जड़ से उन्मूलन किया जावे।

पश्चिमी राजस्थान रेतीले टिब्बे या पूर्वी राजस्थान के कन्दरा क्षेत्र जहां कहीं भी भूक्षरण की समस्या हो ऐसे क्षेत्रों को विदोहन से मुक्त रखा जावे।

बांस प्रबन्धन योजना :

प्रदेश के दक्षिणी भाग में बांस बहुतायत से पाया जाता है, वहां पर प्रारम्भ से ही ''प्रबन्ध योजना'' तैयार की जानी चाहिए। बांस रोपण के तीन साल बाद ही मिट्टी चढाई का कार्य क्षेत्र को उपचारित करने के लिए किया जावे। इसके लिए बांस के झुण्डों में ढलान के विपरीत दिशा में 2 X 2 X 2 फुट की खाई खोदकर उसकी मिट्टी झुण्ड के चारों ओर चढाई जावे। अधिक ढ़लान वाले क्षेत्रों में मिट्टी को रोकने के लिए ढ़लान की ओर अर्द्ध चन्द्राकार दीवार बनाई जावे जिससे मृदा एवं जल का संरक्षण प्रभावी ढंग से हो सके ताकि बांस के झुण्ड़ों में अधिक से अधिक फुटान हो और बढोतरी मिल सके। इसके 5 साल बाद इन बांस के झुण्ड़ों में से 2 वर्ष पुराने बांस को काट लिया जावे तत्पश्चात प्रत्येक चार वर्ष के अन्तरकाल में नियमित रूप से बांस को इस प्रकार पातन किया जावेगा।

परन्तु किसी कारण से अनेक स्थानों पर बांस लगाये गये क्षेत्रों में उपचारित न होने के फलस्वरूप उन क्षेत्रों में कर्षण कार्य अपेक्षित है, इसके अन्तर्गत बांसों के झुण्डों के चारों तरफ पत्थर की अर्द्ध चन्द्राकार दीवार बनाकर टेड़े–मेड़े, सूखे, मरे, आधे कटे एवं कंजेस्टेड बांसों की सफाई कर मिट्टी इस प्रकार डाली जावेगी कि बरसात का पानी बांसों के झुण्डों में अधिक से अधिक ठहर सके। इसके बाद चार वर्षीय पातन चक्र में 2 वर्ष से अधिक आयु वाले बांसों का लगातार पातन किया जावेगा।

विदोहन से होने वाली आय का वितरण

राज्य में ''साझा वन प्रबन्ध कार्यक्रम'' के अन्तर्गत ग्राम सभा की राय से कार्य किया जाना उचित होगा। प्रबन्ध योजना में विदोहित क्षेत्र का पुनर्विकास किस प्रकार किया जावेगा, इस का भी स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है। किसी भी क्षेत्र में प्रतिवर्ष 10–20 हैक्टर से अधिक क्षेत्र का अन्तिम विदोहन नहीं किया जावे, परन्तु योजनाबद्ध तरीके से बड़े क्षेत्र को एकाधिक साल में पातन किया जावे।

वन भूमि का प्रबन्ध :

वन क्षेत्रों में किये गये वृक्षारोपण का प्रबन्ध उस क्षेत्र के लिए तैयार की गई कार्य आयोजना को ध्यान में रखते हुए किया जावेगा, जिन क्षेत्रों को कार्य आयोजना में सम्मिलित नहीं किया गया है, ऐसे क्षेत्रों के लिए उप वन संरक्षक एक वर्किंग स्कीम उपरोक्त लिखित

प्रावधानों के अनुसार तैयार कर क्रियान्वयन करते रहेंगे एवं जब कार्य आयोजना का संशोधन किया जावेगा, कार्य आयोजना अधिकारी ऐसी बनी सभी वर्किंग स्कीमों को ध्यान में रखकर कार्य आयोजना तैयार करेंगे, जिसको अतिच्छादी साझा वन प्रबन्ध वृत्त में शामिल किया जावेगा।

विविध विनियमन :

किसी भी वृक्षारोपण क्षेत्र में किन्हीं विशेष कारणों से जो पेड़ सूख जाते हैं अतः ऐसे सूखे पेड़ों को काटकर निस्तारण किया जाना उचित रहेगा। परन्तु सूखे पेड़ों को काटने से पूर्व सम्बन्धित क्षेत्रीय वन अधिकारी अथवा उसके ऊपर के स्तर के किसी अधिकारी के द्वारा मौके का निरीक्षण किया जाना आवश्यक होगा एवं किन्हीं तकनीकी कारणों से जो पेड़ सूखे हैं, उसका उल्लेख ''प्लान्टेशन जरनल'' में किया जावेगा, तत्पश्चात उप वन संरक्षक की विशेष अनुज्ञा प्राप्त कर इन सूखे पेड़ों का निस्तारण किया जावेगा परन्तु इसके लिए विभागीय पर्यवेक्षण रखा जाना उचित रहेगा क्योंकि इसकी आड़ में हरे पेड़ों के काटने की सम्भावना भी बनी रहती है :

(2) प्राकृतिक आपदाओं के बाद स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुए इमारती लकड़ी एवं बांस आदि की मांग बढ़ जाती है और यदि आस–पास के क्षेत्रों में से प्रकार की सामग्री की उपलब्धता है तो वन संरक्षक की अनुमति प्राप्त कर ऐसे क्षेत्रों में विदोहन किया जा सकता है परन्तु यह ध्यान रखा जावे कि किसी भी हालत में 5 प्रतिशत से अधिक पेड़ों का कटान नहीं होने पाये।

(3) वृक्षारोपण क्षेत्र में वहां की आवश्यकता को देखते हुए वृक्षारोपण के रिक्त क्षेत्र में ग्रामवासियों एवं प्रबन्ध समिति के सदस्यों द्वारा घास एवं वृक्ष प्रजाति के बीजों का रोपण किया जावे तथा यह कार्य स्थानीय वन अधिकारियों के मार्गदर्शन में ही कराया जावेगा।

(4) वृक्षारोपण क्षेत्रों में यदि कहीं भी पुराने पेड़ों के ''कटबैक कार्य'' के माध्यम से क्षेत्र का सुधार करना महसूस किया जाए तो उप वन संरक्षक की अनुमति लेकर ग्रामवासियों के सहयोग से यह कार्य कराया जा सकता है।

(5) वृक्षारोपण क्षेत्र में किसी भी प्रकार के वन्य प्राणियों का शिकार करना पूरी तरह वर्जित रहेगा और इसकी अवहेलना करने पर वन्य जीव संरक्षण कानून के तहत कार्यवाही की जा सकेगी। इसी प्रकार वृक्षारोपण क्षेत्र में सभी प्रकार के अवैध कटान एवं अवैध खनन आदि पर भी पाबन्दी रहेगी तथा उल्लंघन करने पर वन सुरक्षा अधिनियम तथा गैर वानिकी क्षेत्रों में वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति के लिए ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित स्थानीय नियमों के तहत भी कार्यवाही की जा सकेगी।

उपरोक्त वन संवर्द्धन विधि के अतिरिक्त प्रबन्ध योजना में स्थानीय भूमि की संरचनाओं को दृष्टिगत रखते हुए उपयुक्त जल एवं मृदा संरक्षण के बारे में विस्तार से उल्लेख किया जावेगा। इस प्रकार जैव विविधता संरक्षण विभिन्न दिशा–निर्देश भी प्रबन्ध योजना का अभिन्न अंग होंगे।

ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न उपजों की मांग का सही आंकलन, सहभागी ग्रामीण पद्धति को अपनाते हुए की गई सूक्ष्म नियोजन के अनुरूप ही किया जावेगा एवं आवश्यकता के अनुसार क्षेत्रों से प्राप्त उपजों का विवरण भी सुनिश्चित किया जावेगा।